

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

कालुराम पिता छोटुलाल गीणा नि. शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा	रतनलाल पिता देवीलाल नायक नि. शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा वगैरा
प्रार्थी	विपक्षीय

प्रकरण संख्या 23/2026 स्थगन प्रा0पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय डनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

01.06.2026 पत्रावली वाद जांच पेश हुई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विपक्षीय को नोटिस जारी करें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु प्रकरण आयन्दा सुनवायी हेतु दिनांक 08.06.2026 को पेश करें।

अति० जिला कलक्टर  
शाहपुरा

08/6/26. पत्रावली पेशा / उभय पक्ष उपर / अधि० प्रार्थी के विशेष निवेदन पर इंटरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु बहल मुनी गम्भी / अधिवक्ता जर्जी ने निवेदन किया कि हमारी खातेदारी पूर्ण है। 452 रकम 0.09 है। पर जो निगलान (अर्जी-1, 2) द्वारा अधिवक्ता को पेश जा रहा है। हम रिकार्ड में खातेदार है मतः प्रथम दृष्टया मामला हमारे पक्ष में है एवं हम स्वयं निर्माण कर रहे हैं। मतः मामला हमारे पक्ष में प्रस्ता है। यदि जो निगलान अर्जी-1, 2 को नही रोकना ले तमें कपूरणीय क्षति कारित होगी। मतः दौरान जै-जिगरानी अर्जी-1, 2 को जरूरी इंटरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पछंडे आनाप्राप्त जर्जी।

अधिवक्ता अर्जी की अधिवक्ता शर्मा ने सिद्धांत अधिवक्ता जर्जी के तथ्यों का कडन काले उमै निवेदन किया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण में पक्ष सं. 153 पूर्व में ही न्यायालय द्वारा निष्कारित हो चुका है। प्रथम दृष्टया मामला जर्जी का नही प्रस्ता है। प्रथम दृष्टया भूमि आवली में न लेना प्रस्ता खातेदारी की है जो स्वयं अधिवक्ता जर्जी

जिला कलक्टर  
शाहपुरा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुर

बनाम.....

किस्म मुकदमा..... प्रकरण सं.....

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/6/26

अपीला कर रहे हैं। जमीन काटने वाले न्यायालय में नहीं आये हैं। कतः अतिरिक्त अस्थायी विवेकाशा जारी किया जाता किन्तु समाप्त नहीं है।

हमने जमीना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की ध्यानपूर्वक जांचोदखन कर अध्ययन किया एवं निम्नलिखित शिथिलताओं का पता कर के क्लक पर तत्तु किया।

जमीना-पत्र के पैरा सं. 2 में जमीनी धारता-दारी शक्ति होने का अंकन है। पैरा सं. 5 में अन्न पंचायत क्षेत्र पुरा द्वारा 30'x45' का पट्टा जारी किया जाने का उल्लेख है परन्तु क्लक खले नं. में जारी किया गया इतका अंकन नहीं है। जमीने के पैरा सं. 6 में उल्लेख किया है कि जमीने सं. 1 नं 2 जमीनी कृषि भूमि में निर्माण कार्य को वाचित कर अज्ञात होने का उल्लेख कर रहे हैं। पैरा-7 में उद्योगत पट्टे का आबादी में भूमि में नहीं होने का अंकन किया है परन्तु पट्टा की जाती भूमि में है इसका जमीना-पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि जमीने राजलन के खातेदारी शक्ति जमावेंदी संवत् 2074-77 बरतेंदर का अतिरिक्त पुत्र कोट्टु लाने जाने मीणा सं. नं 457 रस्ता 0.09 है. पर अतिक्रमण, कब्जा रोकने हेतु न्यायालय हाजा से अनुतोष चला है। एतदनुसार कायतकारी से संबंधित क्षेत्र के भाग न्यायालय हाजा के अतिरिक्त में नहीं आता है। कतः उक्तानुसार जो इसी तरह पर अतिरिक्त कर जारी किया जाता है। जमावेंदी जेत पत्र

जिला कलक्टर शाहपुर

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

बनाम.....

केसम मुकदमा.....

प्रकरण सं.....

सम 2026

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ता 20 हुक्म की तारीख में जारी हुए

08/6/26

शुमार हो नम्बर से कान की जाकर  
दाखिल सप्ले हो । निर्णय हुआ था गप्य ]

अति.जिला कलक्टर  
शाहपुरा